खास-खबरें

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में शामिल लोगों को प्रेमनारायण राठौड़ ने बांटे कंबल और मिठाई



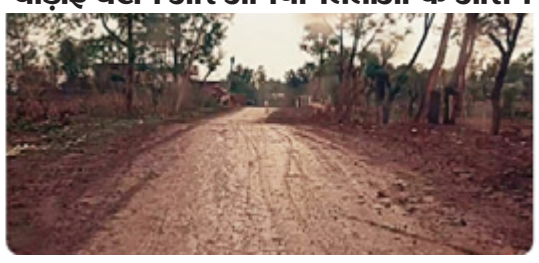
नईदुनिया, प्रतिनिधि, चंदेरीः सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के चंदेरी पहुंचने पर गुना निवासी समाजसेवी प्रेमनारायण राठौड़ ने यात्रा में शामिल लोगों का सेवा भाव से स्वागत करते हुए उन्हें कंबल और मिठाई वितरित की। उनके इस सेवा कार्य की नगर में सराहना हो रही है। उज्जैन से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। यात्रा का चंदेरी में दो दिन का विश्राम रहा। इस दौरान पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के निवास पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर में भी जगह-जगह यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर चंदेरी पहुंचे समाजसेवी प्रेमनारायण राठौड़ ने यात्रा में शामिल यात्रियों को कंबल, मिठाई और जैकेट वितरित किए। उन्होंने दिग्विजय सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी सहित अन्य लोगों के हाथों भी सामग्री का वितरण कराया। इस दौरान उन्होंने सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

प्रेमनारायण राठौड़ के इस मानवीय और सेवाभावी प्रयास की चंदेरी में प्रशंसा हो रही है। लोगों ने उनके सेवा कार्य को सामाजिक सद्भाव और जरूरतमंदों की सहायता की अच्छी पहल बताया।

देवउठनी ग्यारस पर जिला अवकाश, उसी दिन अर्धवार्षिक परीक्षा; असमंजस में विद्यार्थी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भैरुंदाः देवउठनी ग्यारस के अवसर पर 20 नवंबर 2026 को जिला प्रशासन ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वहीं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इसी दिन कक्षा 11वीं के एनएसक्यूएफ (NSQF) विषयों और कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। जिले में त्योहार के चलते अवकाश रहेगा, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। इस स्थिति ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। सभी की नजर अब शिक्षा विभाग के निर्णय पर टिकी है कि परीक्षाएं निर्धारित तारीख पर होंगी या उनकी तिथि में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि जिला अवकाश को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को त्योहार के दिन परीक्षा देने की परेशानी न हो। फिलहाल परीक्षा स्थगित करने या नई तारीख निर्धारित करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देशों का इंतजार है।

9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अधूरा चौड़ाई घटाने और अनियमितताओं के आरोप



नईदुनिया, प्रतिनिधि, बरेलीः बरेली-चैनपुर-गगनबाड़ा सड़क का निर्माण अधूरा होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। सड़क निर्माण में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने और निर्धारित चौड़ाई के अनुसार सड़क बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए शासन ने 15 करोड़ 16 लाख 12 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है। सड़क की निर्धारित चौड़ाई 7 मीटर बताई गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मात्र 3.75 मीटर चौड़ाई में निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने मार्ग को स्क्रेच करने के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। लंबे समय से काम दोबारा शुरू नहीं होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि सड़क का निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरा होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की जांच कराने, निर्माण में कथित अनियमितताओं की पड़ताल करने और अधूरे कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की है।

संत जोसेफ विद्यालय में शिक्षकों ने सजाए व्यंजनों के स्टॉल



नईदुनिया प्रतिनिधि, गंजबासौदाः स्थानीय संत जोसेफ विद्यालय में बाल दिवस को दो दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया गया। सेवा भाव की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना रहा। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार मेले से प्राप्त राशि जरूरतमंदों की सेवा के लिए दान की जाएगी।

उत्सव के पहले दिन 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बाल उत्सव आयोजित किया गया, जो पूरी तरह विद्यार्थियों को समर्पित रहा। वहीं 18 नवंबर को फूड मेले का आयोजन किया गया। इसकी खास बात यह रही कि इस बार विद्यार्थियों के बजाय शिक्षकों ने विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए, ताकि बच्चे मेहमान बनकर मेले का आनंद ले सकें।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रदर बासिटन और ब्रदर सनी लाल ने फीता काटकर किया। मेले में शिक्षकों ने पानी पुरी, दही पुरी, पाव भाजी, नूडल्स, पापड़ी चाट, भेलपुरी, पेटिस, पेस्ट्री, फ्राइड राइस, वड़ा पाव, ब्राउनी विद आइसक्रीम, फ्रूट चाट सहित अनेक व्यंजनों के स्टॉल सजाए। शिक्षकों ने उत्साह के साथ व्यंजन तैयार किए।

मेले में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर व्यंजनों का आनंद लिया और जरूरतमंदों की सहायता के लिए योगदान दिया। मुख्य अतिथि ब्रदर सनी लाल ने शिक्षकों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा भावना का यह उदाहरण विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एंटनी ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार माना। कार्यक्रम में संत जोसेफ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा।

बुधनी में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी घर में मिले पति-पत्नी और बेटे के शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः सीहोर जिले के बुधनी में बुधवार सुबह एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। वार्ड नंबर-12 स्थित घर में पति-पत्नी और उनके बेटे के शव मिले। तीनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। शुरुआती जांच में आशंका है कि मंगलवार रात जब परिवार घर में सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं।

मृतकों की पहचान राकेश मीणा (45), उनकी पत्नी राधा मीणा (40) और बेटे अश्विन (24) के रूप में हुई है। बुधवार सुबह घर में बंधी बकरियों की लगातार आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचा। घर के अंदर तीनों के शव देखकर उसने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी फैलते ही घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि घटना वार्ड-12 की है। बुधवार सुबह पड़ोसी को घर में बंधी बकरियों की लगातार आवाज सुनाई दी। वह देखने के लिए घर पहुंचा तो अंदर परिवार के तीनों सदस्य मृत मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वारदात को किसने और किस वजह से अंजाम दिया, यह अभी स्पष्ट नहीं है।



शाजापुर का रहने वाला था परिवार, मेलों में लगाते थे दुकानः जानकारी के मुताबिक, मृतक परिवार मूल रूप से शाजापुर जिले का रहने वाला था। राकेश और उनकी पत्नी पहले ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे। बाद में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। राकेश मेलों में जूते-चप्पल की दुकान लगाते थे। परिवार ने करीब तीन साल पहले बुधनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया था।

एक महीने पहले तीनों का हुआ था एक्सीडेंटः परिवार के साथ करीब एक महीने पहले सड़क हादसा भी हुआ था। इस दुर्घटना में राधा के हाथ और राकेश के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद से परिवार की परिस्थितियों को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। फिलहाल तीनों की हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

एफएसएल और डॉग स्क्वॉड ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही एसडीओपी रवि शर्मा और थाना प्रभारी सुनील ठाकुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घर का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस परिवार के परिचितों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। हत्या के पीछे संभावित कारणों और संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है।

निर्माण कार्यों में देरी पर स्मार्ट सिटी सीईओ नाराज, दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश



नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नेहा जैन ने बुधवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झालरिया मठ-रामघाट मार्ग, महाकाल पार्किंग से चौबीस खंबा मार्ग और महाकाल मंदिर से महाकाल घाटी मार्ग पर काम की प्रगति का जायजा लिया। निर्माण कार्यों की धीमी गति और पर्याप्त श्रमिक नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

झालरिया मठ-रामघाट मार्ग पर डॉ. जैन ने निर्माणाधीन शौचालय और कोबल स्टोन फ्लोरिंग के ढलान का निरीक्षण किया। उन्होंने शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

महाकाल पार्किंग से चौबीस खंबा मार्ग पर पर्याप्त श्रमिक नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित ठेकेदार को दिसंबर 2026 तक रिटेनिंग वॉल और सड़क निर्माण पूरा करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही अतिरिक्त श्रमिक लगाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। महाकाल मंदिर से महाकाल घाटी मार्ग पर उन्होंने उपलब्ध कार्यक्षेत्र के अनुसार योजना बनाकर निर्माण गति बढ़ाने, सीवर लाइन का काम जल्द पूरा करने और जरूरी स्थानों पर संकेतक लगाने के निर्देश दिए।

डॉ. जैन ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरे करने को कहा। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को नियमित निगरानी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी की तकनीकी टीम मौजूद रही।

भाई की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्तदान



नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौरः मंदसौर ग्रामीण ब्लॉक के खिलचीपुरा मंडलम में बुधवार को मंडलम अध्यक्ष जुनैद मेव ने अपने दिवंगत भाई जावेद मेव की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया।

शिविर में क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य विकास दशोरा सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान साकिर अंसारी, इस्तिकार अंसारी, डॉ. आबिद अंसारी, सिद्दीक भाई, सकलेन करार, बंटी चरेड, कपिल, रियाज अंसारी, मुबारिक शाह, मुबारिक मेव, अब्दुल कादिर अंसारी, वसीम मेव, वसीम खान, इरसाद अंसारी और नदीम मेव सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।

भोपाल महानगरीय क्षेत्र में शामिल करने की मांग

गंजबासौदा। भोपाल के महानगरीय विस्तार के बीच अब गंजबासौदा को भी इससे जोड़ने की मांग उठी है। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर गंजबासौदा को भोपाल महानगरीय क्षेत्र में शामिल करने अथवा सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। 17 नवंबर को जारी पत्र में उन्होंने गंजबासौदा की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों और विकास की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए शासन से इस दिशा में पहल करने का अनुरोध किया है। पत्र के अनुसार, गंजबासौदा भोपाल से करीब 98 किलोमीटर और विदिशा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहां ए-क्लास कृषि उपज मंडी, कृषि महाविद्यालय, रेलवे कनेक्टिविटी और प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां मौजूद हैं।

दिव्यांग बच्चों को बताए विधिक अधिकार न्यायिक अधिकारियों ने किया प्रोत्साहित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बरेलीः न्यायोत्सव-विधिक सेवा सप्ताह 2026 के अंतर्गत बुधवार को विश्वास विशेष शिक्षण संस्थान, बरेली में दिव्यांगजनों के लिए विधिक जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किया गया। इसमें न्यायिक अधिकारियों ने दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों को कानूनी अधिकारों, शिक्षा, छात्रवृत्ति, पेंशन तथा शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन कर उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के निर्देशानुसार शिविर आयोजित हुआ। यह आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति बरेली के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र मालवीय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर में जिला न्यायाधीश प्रणयदीप ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की गई है।



व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड ललित कुमार मईड़ा ने दिव्यांगजनों को उनके विधिक अधिकारों, न्याय तक समान पहुंच और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा समिति सहायता के लिए तत्पर है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंकिता नागर ने पेंशन योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और प्रसिद्ध संगीतकार रवींद्र जैन के जीवन का उदाहरण देते हुए बच्चों को प्रेरित किया।

महिला हॉकी विधायक कप में अलीगढ़ ने फाइनल में शाजापुर को 1-0 से हराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः दशहरा मैदान मंडी आयोजित तीन दिवसीय महिला हॉकी विधायक कप टूर्नामेंट का उत्साहपूर्ण वातावरण में सफल समापन हुआ। टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों सहित उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आई महिला हॉकी टीमों ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का रोमांचक फाइनल मुकाबला अलीगढ़ उत्तरप्रदेश और शाजापुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें अलीगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शाजापुर को 1-0 से पराजित कर विधायक कप का खिताब अपने नाम किया। तीन दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में खेलप्रेमियों और नगरवासियों ने उपस्थित होकर महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी एवं जिला हॉकी संघ के संरक्षक अखिलेश राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला हॉकी संघ सीहोर की सचिव अफ्शा अहमद ने की। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अधिकारी रूबिका दीवान, हॉकी खिलाड़ी डॉ. अनीस खान, मंडी थाना प्रभारी अर्चना मैडम, विदिशा से सतीश रैकवार, आमिर खान, शाजापुर के कोच, भोपाल के कोच देवेंद्र प्रताप, रेफरी शादाब खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक, खेल अधिकारी, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में अलीगढ़ की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि शाजापुर की टीम उपविजेता रही।

देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने चलेगा विशेष अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेनः देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने के लिए रायसेन जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने अधिकारियों को निगरानी दल गठित करने और 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। 20 नवंबर को पंचायतों और नगरीय निकायों में बाल विवाह रोकने की शपथ ली जाएगी। वहीं, 27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल नाका सीहोर (म.प्र.)

अधिपत्य नोटिस तथा "जहाँ है जैसा है" आधार पर संपत्ति नीलामी (निविदा) सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणग्रहिता को ब्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन की समयावधि से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणग्रहिता राशि का भुगतान करने में असफल रहा है। अतः ऋणग्रहिता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता जो उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सहपठित उक्त नियम (9) के साथ पढ़ा जावे। ऋणग्रहिता एवं जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्य एतद् द्वारा निम्न वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्नलिखित खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि के लिये निम्न खाते के सामने अंकित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा **कुरावर/ब्यावरा** के अधीन होगा। उक्त अधिनियम की धारा (13) 4 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत बैंक की हमारी **कुरावर/ब्यावरा शाखा** में बंधक रखी नियामानुसार परिसम्पत्ति के विक्रय हेतु निविदायें आमंत्रित करता है।

क्र.	ऋणी एवं जमानदार का नाम	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण व स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
1.	**शाखा कुरावर** **मुख्य ऋणी–** मेसर्स देव कृपा गारमेन्ट प्रो. श्री स्वदेश महेश्वरी पिता श्री बाला प्रसाद महेश्वरी **निवासी–**तलेन रोड, कुरावर जिला राजगढ (म.प्र.) **जमानतदार–** **01–श्री छगनलाल पिता श्री पन्नालाल** **निवासी:** मेन रोड, कुरावर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) **02–श्री बाला प्रसाद पिता श्री रामप्रसाद** **निवासी:** जीन मोहल्ला, कुरावर जिला राजगढ़ (म.प्र.)	मांग सूचना दिनांकः 20.02.2026 सांकेतिक कब्जा दिनांकः 13.05.2026 देय बकाया राशि रु. 10,04,351.26 + एवं 13.02.26 से ब्याज + अन्य व्यय	**सम्पत्ति मालिक का नामः** श्री बाला प्रसाद पिता श्री रामप्रसाद महेश्वरी **निवासः** जीन मोहल्ला, कुरावर जिला राजगढ़ (म.प्र.) का आवासी भूखण्ड (प्लाट) ग्राम कुरावर में विक्रय भूखण्ड स्थित है। यह कालोनी नेशनल हाईवे से 100 फीट से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूखण्ड अनुमति प्राप्त आवासीय कालोनी में स्थित है जो कि कुरावर बस स्टैण्ड से अग्रवाल कान्वेट स्कूल के बाद तथा राष्ट्रीय राज्यमार्ग के बाद भोपाल की तरफ स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सडक किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत प्लाट कार्नर पर स्थित नहीं है। सर्वे नं. 760/1/1/1, 760/2/1, 760/2/2, 760/3, 766/2/2 कुल रकबा 1.875 हे. मे से रकबा 0.006 हे. भू भाटक 300 रुपये का निम्न भूखण्ड विक्रय किया है। विक्रीत प्लाट क्रमांक 101 जिसकी चतुर्थ सीमा एवं लंबाई व चौडाई निम्नानुसार है:– हक विलेख अनुसार पूर्व में – कालोनी का रास्ता पश्चिम में – प्लाट क्र.96 उत्तर में – प्लाट क्र.100 दक्षिण में – प्लाट क्र.102 विक्रीत प्लाट का कुल क्षेत्रफल 15X40 = 600 वर्गफीट (55.76 वर्ग मीटर)	6,80,400/– 68,040/–
2.	**शाखा ब्यावरा** **ऋणी का नाम :–** **श्री कुलदीप पिता रघुनन्दन विश्वकर्मा** निवासी– सुठालिया बायपास रोड शर्मा वेल्डिंग मशीन के पीछे चाचा की कॉलोनी ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.) पिन कोड–465674 **जमानतदार–** **01. श्रीमति शारदा पति कुलदीप विश्वकर्मा** निवासी– सुठालिया बायपास रोड शर्मा वेल्डिंग मशीन के पीछे चाचा की कॉलोनी ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.) पिन कोड–465674 **02. श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा** **पिता रमेशचन्द्र विश्वकर्मा** निवासी–ग्राम तलावड़ा मलावर ब्यावरा, पिन कोड–465674 जिला राजगढ़ (म.प्र.)	मांग सूचना दिनांकः 08.06.2026 सांकेतिक कब्जा दिनांकः 29.09.2026 देय बकाया राशि रु. 483428.68 + एवं 20.05.2026 से ब्याज + अन्य व्यय	**श्रीमति शारदा पति कुलदीप विश्वकर्मा,** का आवासीय प्लॉट ई पंजीकरण संख्या MP30222022A11058989 दिनांक 20-10-2022 ग्राम पंचायत सीना ग्राम मोतीपुरा मे स्थित डायवर्सन शुदा सर्वे न. 5/1/1 कुल रकबा 1.394 हेक्टर भूमि मे से विक्रीत क्षेत्रफल 17*40=680 वर्गफीट, यानि 63.197 वर्गमीटर, रकबा 0.006 हेक्टर भू–भाटक 90– रुपये वार्षिक का खुला प्लॉट क्रेता को विक्रय किया है, जो की पूर्व से पश्चिम 40 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 17 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 680 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्नानुसार है:– हक विलेख अनुसार पूर्व में – 20 फीट चौड़ा रास्ता विक्रेता द्वारा छोड़ा गया पश्चिम में – विक्रेता की शेष भूमि उत्तर में – संतोष सोनी का प्लॉट दक्षिण में – विक्रेता की शेष भूमि	5,78,000/– 57,800/–

नियम व शर्तें :– उपरोक्त सम्पत्ति उल्लेखित आरक्षित मूल्य से कम में विक्रय नहीं की जावेगी, निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि (अर्नेस्ट डिपाजिट) प्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा **कुरावर /ब्यावरा** को देय पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट के रुप में निविदायें खोलने से पूर्व दिनांक 19.12.2026 को अपरान्ह 4:00 बजे तक जमा करना होगा जो निविदाकर्ता के सफल होने पर समायोजित की जावेगी, अन्यथा रकम नीलामी के 7 दिवस में वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकर्ता को नीलामी समाप्त होते ही विक्रय राशि की 25 प्रतिशत राशि तुरंत पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 15 दिवस में जमा करना होगी। ऐसा नहीं करने पर उपरोक्त धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। सम्पत्ति जहां है जैसी है एवं जो है जैसा है के आधार पर विक्रय की जावेगी। सर्वोच्च निविदा प्राधिकृत अधिकारी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सीहोर के अनुमोदन के अधीन होगी तथा खरीदी हुई सम्पत्ति की स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री व अन्य संबंधित सभी खर्च खरीददार को देना होगा। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि कोई आवश्यक अज्ञात देय राशि हुई तो वह क्रेता द्वारा ही जमा होगी। बैंक को समस्त या किसी एक निविदा या निविदा खोलने की प्रक्रिया को निरस्त या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं निविदा प्रक्रिया को बोली द्वारा नीलामी किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। अन्य विवरण तथा विक्रय उद्घोषणा संबंधित सभी जानकारियां मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सीहोर एवं प्रबंधक शाखा कुरावर **ब्यावरा शाखा** से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः उपरोक्त निहित सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 19.12.2026 तक बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में दोपहर 1:00 बजे से सायं 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम दिनांकः–19.12.2026, दिन शनिवार, समय दोपहर 4:00 बजे तक स्थानः मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा कुरावर/ब्यावरा	निविदा खोलने/नीलामी की दिनांकः– 21.12.2026, दिन सोमवार, समय दोपहर 3:00 बजे स्थानः मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सीहोर
स्थान : सीहोर **दिनांक : 19.11.2026**	**प्राधिकृत अधिकारी** **संपर्क नम्बरः– 9893367177**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम अपने मुवक्किल की ओर से निम्नलिखित व्यक्तियों के अधिकार, स्वामित्व, हित एवं हकदारी की जाँच कर रहे हैं:

1) **श्री अशोक वर्मा,** पुत्र श्री रोड सिंह वर्मा;
2) **श्रीमती अर्चना वर्मा,** पत्नी श्री अशोक वर्मा;
3) **श्री विनय वर्मा,** पुत्र श्री अशोक वर्मा; तथा
4) **श्रीमती एकता वर्मा,** पत्नी श्री विनय वर्मा।

उपरोक्त सभी निवासी एएच-7, एच.आई.जी., सुखालिया, विजय नगर, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश हैं (आगे इन्हें ''स्वामीगण'' कहा गया है) प्रस्तावित आतिथ्य-संबंधी लेनदेन के लिए विधिक एवं स्वामित्व संबंधी सम्यक जाँच के अंतर्गत, राजस्व ग्राम सैलानी, वृत्त मांधाता, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 55/1, 55/2/1 एवं 55/2/2 की भूमि/संपत्ति, जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है (आगे ''अनुसूचित संपत्ति''), की जाँच की जा रही है।

कोई भी व्यक्ति, फर्म, साझेदारी संस्था, कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी अथवा वैधानिक प्राधिकरण या अन्य संस्था, जिसका अनुसूचित संपत्ति अथवा उसके किसी भाग, या उससे संबंधित किसी तल क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आई.) अथवा विकास क्षमता में या उसके संबंध में किसी भी प्रकृति का अधिकार, स्वामित्व, हिस्सा, दावा, माँग, विवाद, संदेह, आपत्ति, लाभ, हित या भार हो अथवा जो ऐसा दावा करता हो-चाहे वह स्वामित्व, सह-स्वामित्व, उत्तराधिकार, वारिसी, उत्तरजीविता, सहदायिकी अधिकार, देखरेखकर्ता के रूप में अधिकार, पारिवारिक व्यवस्था/समझौता, विभाजन, अधिकार-त्याग, परित्याग, विक्रय, विक्रय करार, हस्तांतरण, हस्तांतरण विलेख, समनुदेशन, आवंटन, साझेदारी अधिकार, पूँजी योगदान, पट्टा, किरायेदारी, अनुज्ञप्ति, बंधक, ऋण, अग्रिम, प्रभार, धारणाधिकार, स्वत्व विलेखों के निपेक्ष, ऋण-निपटान, समझौता ज्ञापन, आशय-पत्र/टर्म शीट/मुख्य शर्तें, विकास/संयुक्त विकास अधिकार, रखरखाव, कब्जा, अधिभोग, मुख्तारनामा, विकल्प, प्रथम इनकार का अधिकार, पूर्वक्रय अधिकार, सुखाधिकार, मार्गाधिकार, पहुँच अधिकार, न्यास, दान, वसीयती उपहार, विनिमय, वसीयत, वसीयत व्यवस्था, न्यायालय का आदेश, डिक्री, निषेधाज्ञा, कुर्की, किसी न्यायालय, अधिकरण, राजस्व अथवा वैधानिक प्राधिकरण का निर्णय/पंचाट, मध्यस्थता, अधिग्रहण, आरक्षण, लंबित वाद का प्रभाव, किसी देयता, प्रतिबद्धता या अन्य किसी भी आधार पर हो-उसे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर अपने दावे या आपत्ति का लिखित विवरण तथा उसके समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ नीचे दिए गए पते एवं ईमेल पर** अधोहस्ताक्षरी को भेजे।

उक्त अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न होने पर, हमारा मुवक्किल अपनी सम्यक जाँच पूरी करने के अधीन, इस सूचना के अनुसरण में किसी दावे या आपत्ति की प्राप्ति न होने की स्थिति में जाँचे गए अभिलेखों के आधार पर प्रस्तावित लेनदेन आगे ब